68

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. कैम्प कोर्ट उज्जैन

R - 249 - I/14

निगरानी प्रकरण कमांक............/12–13

मुकेश पिता भेरूलाल जी कहार उम्र 34 साल धंधा –खेती एवं मजदूरी

निवासी – किला रोड बड़ी होली मंदसौर ....**प्रार्थी**

//बनाम//

1.नंदकिशौर पिता सीताराम जी धाकड उम्र –32 साल धंधा खेती

निवासी –ग्राम धमनार तह. व जिला मंदसौर म.प्र

2. रेखा बाई पति नंदकिशौर जी धाकड उम्र 31 साल धंधा खेती

निवासी – धमनार तह.जिला मंदसौर म.प्र ....**विपक्षीगण**

RM
श्री शरद द्विवेदी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
11.11.13

386
30/11/13

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा धुधंडका के द्वारा प्रकरण कमांक 82/ अ/ 6 /11 –12 में प्रदत्त आदेश दिनांक 30.08.2013 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत नकल के दिन मुजरा करत हुवे अन्दर अवधि में प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

निगरानी स्मरण पत्र निम्नवत प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है :–

8-1-14

यह कि ग्राम धमनार तह.व जिला मंदसौर में भूमि सर्वे न. 20 रकबा 0.656 आरी एवं सर्वे न. 21 रकबा 0.523 आरी कुल न.0 2 व कुल रकबा 1.179 आरी कि कृषि भूमि स्थित है जिसके भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी विपक्षी क. 1 व 2 हैं और विपक्षी क0 1 व 2 के द्वारा विपक्षी क. 3 को भूमि सर्वे न. 20 व 21 का का मुख्तयार नामा उपरोक्त सर्वे न. के संबंध में दिनांक 16.01.2012 को नियुक्त किया गया और मुख्तयारनामे के संबंध में भूमियो को विकय करने के संबंध मे जहां कही भी मुख्तायार, नामा नियुक्तकर्ता कि हॅस्ताक्षर कि आवश्यकता हो उसमें हमारी और से उपस्थित होकर समस्त आवश्यककार्यवाही करे हमारी और से विकय अनुबंध करे उसमें अपने हस्ताक्षर करे भुगतान प्राप्त करे एवं रसीद लिखकर देवे एवं संपूर्ण राशि प्राप्त कर विकय पत्र प्रारूपित करवावे। उस पर अपने हस्ताक्षर करे,विकय पत्र उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत करे, विकय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर अगूठा निशानी हमारी ओर से लगावे विकय पत्र केता के पक्ष में पंजीकृत एवं निष्पादित करे विकय

3

मुकेश कहार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-249-एक/14 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक **शास्त्री** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार **के** आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता **में** दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब **नवीन** संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) **के** अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध **सुनवाई** कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई **हेतु** कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई **हेतु** दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष **उपस्थित** हों। **प्रशासकीय सदस्य**	